


Subject - House Keeping tender for SWSM/SPMU/WSSO

 **राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन**
ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन
6 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ 226001
फोन : 91-522-4033444 Website: www.swsmup.org

उ०प्र० शासन के ग्राम्य विकास विभाग के अधीन गठित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन एवं स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (विश्व बैंक) कार्यालय के हाउस कीपिंग एवं अन्य कार्यों हेतु आवश्यक कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति सेवा प्रदाता एजेंसी/संस्था के माध्यम से की जानी है।

इच्छुक एजेंसी/संस्थायें दिनांक 19.08.2015 को सांय 4:00 बजे तक रु० 500.00 नकद/बैंक ड्रफ्ट के माध्यम से जमा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। निविदा दिनांक 20.08.2015 को सांय 3:00 बजे तक जमा की जायेगी तथा उसी दिन अपराह्न 3:30 बजे कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा सम्बन्धी सूचना मिशन की वेबसाईट www.swsmup.org पर भी उपलब्ध है। निविदादाता वेबसाईट से भी निविदा फार्म डाउनलोड कर रु० 500.00 के बैंक ड्रफ्ट (अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पक्ष में) के साथ आवेदन कर सकते हैं।

अधिशाली निदेशक
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

size: 8(W) x 7 (H)

M&E

h
5/8

कार्यालय राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
6, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ

निविदा प्रपत्र

टेण्डर फीस: रू0 500/-

कार्यालय राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा निर्धारित निविदा शुल्क के साथ अनुभव कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल कर्मियों की आपूर्ति हेतु सेवा प्रदाता से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। सेवा प्रदाता संस्थाओं के लिए न्यूनतम अर्हताएं निम्नवत् होगी:-

1. सेवा प्रदाता संस्था का पंजीकृत कार्यालय अथवा उसकी शाखा लखनऊ में स्थापित होना आवश्यक है।
2. सेवा प्रदाता संस्था को सार्वजनिक कम्पनियों, सरकार उपक्रमों एवं राजकीय विभागों में श्रमिक आपूर्ति का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा।
3. सेवा प्रदाता संस्था का पंजीकरण श्रम आयुक्त, सेवाकर, आयकर विभागों में श्रमिक आपूर्ति में होना आवश्यक होगा। साक्ष्य के लिए प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
4. सेवा प्रदाता संस्था किसी संस्था को कम से कम एक बार में 15 कर्मियों की आपूर्ति विगत 03 वर्षों में की गयी हो।
5. सेवा प्रदाता द्वारा आपूर्ति किए गए कार्मिकों का दी जाने वाली मजदूरी अतिरिक्त सेवाकर का भुगतान संस्था को पृथक से किया जाएगा।

प्रतिबन्ध व शर्तें:-

1. प्रत्येक निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी।
2. प्रथम भाग तकनीकी निविदा प्रपत्र तथा दूसरा भाग वित्तीय निविदा प्रपत्र कहा जाएगा। दोनों निविदा प्रपत्र अलग-अलग लिफाफे में सीलबन्द करके प्रस्तुत की जाएगी और सीलबन्द लिफाफे के ऊपर तकनीकी निविदा प्रपत्र तथा वित्तीय निविदा लिफाफे पर वित्तीय निविदा प्रपत्र का उल्लेख किया जाएगा। दोनों निविदा प्रपत्र से सम्बन्धित सीलबन्द लिफाफे एक अन्य बड़े लिफाफे में रखकर उपयुक्त प्रकार से सीलबन्द करके प्रस्तुत किए जाएंगे। लिफाफे के ऊपर कार्मिक आपूर्ति हेतु निविदा का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा और इस प्रकार सीलबन्द किया हुआ निविदा प्रपत्र राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय, 6, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
3. तकनीकी निविदा लिफाफे में अर्नेस्ट मनी राशि के रूप में देय रू0 50,000/- (वापसी योग्य उद्योग होगा) का FDR/TDR/CDR/ बैंक गारण्ट कार्यालय अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पक्ष में बंधक होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा यदि तकनीकी बिड के साथ अर्नेस्ट मनी की धनराशि का FDR/TDR/CDR संलग्न नहीं होगा तो ऐसी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी रूप में धनराशि स्वीकार नहीं की जाएगी। अर्नेस्ट मनी की वैधता 45 दिवस की होगी।
4. असफल निविदादाताओं से प्राप्त धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) सम्बन्धित सेवा प्रदाताओं को 45 दिवस के अन्दर वापस कर दी जाएगी।

5. सेवा प्रदाता संस्था को निविदा स्वीकार होने की सूचना प्राप्त होने पर कार्य सम्पादन सुरक्षा निधि जमानत के रूप में निर्धारित समय 15 दिन के अन्दर रु0 100000.00 का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का FDR/TDR/CDR बैंक गारण्टी के रूप में जमा करनी अनिवार्य होगी। सुरक्षा निधि के रूप में जमा की जाने वाली उक्त धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, 6 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ के पक्ष में बन्धक होगी और सम्बन्धित निविदा के लिए किये गये अनुबन्ध की समाप्ति के बाद 06 महीने तक प्रभावी रहेगी। कार्य सम्पादन सुरक्षा निधि पर कार्यालय राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, 6 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। कार्य सम्पादित अवधि समाप्त होने के 06 माह बाद उक्त जमानत राशि वापस की जायेगी।
6. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कार्यालय राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, 6 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ के साथ निष्पादित अनुबन्ध का उल्लंघन किये जाने पर कार्यालय राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, 6 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ को यह अधिकार होगा कि वह सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कार्य सम्पादन सुरक्षा निधि के रूप में जमा धनराशि को जब्त कर लें और निष्पादित अनुबन्ध को समाप्त कर दें।
7. कार्यालय राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, 6 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ की आवश्यकतानुसार समय-समय पर उसकी मांग के अनुरूप कार्मिकों सेवा प्रदाता संस्था द्वारा की जायेगी। यदि न्यूनतम सेवा शुल्क दर वाली सेवा प्रदाता संस्था उपयुक्त संख्या में कार्मिक एक सप्ताह के अन्दर नहीं उपलब्ध करा पाती है तो अधिशासी निदेशक को यह अधिकार होगा कि वह दूसरी न्यूनतम सेवा शुल्क दर वाली सेवा प्रदाता संस्था से उन्हीं दरों एवं शर्तों पर आपूर्ति स्वीकार कर लें, जिन पर न्यूनतम सेवा शुल्क दर वाली सेवा प्रदाता संस्था सहमत है। कार्यालय राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, 6 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ अपनी आवश्यकताओं को ई-मेल एवं पत्र द्वारा सूचित करेंगी और इस स्थिति में ई-मेल में अंकित तिथि से समय की गणना की जायेगी। जिस ई-मेल में कार्मिकों की आवश्यकता/संख्या सूचित की गयी।
8. अनुबन्ध की अवधि में सेवा प्रदाता संस्था को सूचित की गयी कार्मिकों की संख्या कम या अधिक हो सकती है। यह संख्या कम होने पर सेवा प्रदाता संस्था को इंगित सीमा तक अपने कार्मिक कम करने अथवा घटाने होंगे।
9. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को बिना किसी कारण बताये एक निविदा अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
10. सेवा प्रदाता संस्था से किया गया अनुबन्ध एवं उल्लिखित दरें एक वर्ष के लिए ही वैध होगी।
11. यदि अनुबन्ध के अधीन उपलब्ध करायी गयी सेवायें किसी ऐसे उपयुक्त कारण उत्पन्न होने पर जैसे सेवा में त्रुटि सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के कार्य का स्तर उपयुक्त न पाने जाने पर अनुबन्ध का उल्लंघन होने अथवा अन्य ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर अनुबन्ध की अवधि को अधिशासी निदेशक द्वारा कम भी किया जा सकता है अथवा तत्काल प्रभाव से अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रतिभूति की धनराशि वापस नहीं की जायेगी।
12. सेवा प्रदाता संस्था टेण्डर निष्पादन के राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, 6 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ से किये गये अनुबन्ध को किसी संस्था को 'ट्रांसफर', 'एसाइन', 'प्लेज' या 'सब-कान्ट्रैक्ट' करने का अधिकार नहीं होगा।

13. सेवा प्रदाता संस्था की जिम्मेदारी होगी कि वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्राविधानों को इस प्रकार पालन करें कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में वर्णित प्रतिबन्धों का उल्लंघन न हो। यदि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन शासन द्वारा कोई वृद्धि की जाती है तो सेवा प्रदाता संस्था सम्बन्धित शासनादेश की प्रति के साथ कार्यालय राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, 6 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ को सूचित करने तथा सम्बन्धित अधिनियम का पालन कराने के लिए सहयोग करेगा।
14. वर्तमान में सूचित कार्मिकों की संख्या बल में वृद्धि होने पर सेवा प्रदाता संस्था द्वारा अतिरिक्त मांग की पूर्ति पूर्व निर्धारित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए समतुल्य दरों पर की जायेगी।
15. सेवा प्रदाता संस्था पर यह बाध्यकारी होगा कि वह अधिशासी निदेशक को दी गयी सूचनाएँ, चाहे वह बिड के साथ दी गयी हों अथवा बाद में, सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करायेगा। यदि सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना अथवा विवरण या अन्य प्रपत्र किसी भी समय गलत/फर्जी पाया जाता है तो इसे सेवा प्रदाता द्वारा निष्पादित अनुबन्ध का उल्लंघन माना जायेगा और इन कारणों से उत्पन्न स्थिति में अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही किये जाने के साथ ही अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। अधिशासी निदेशक को यह अधिकार होगा कि वह सेवा प्रदाता संस्था से किये गये अनुबन्ध का किसी भी समय 01 माह का नोटिस देकर निष्पादित अनुबन्ध को समाप्त कर दें, और यदि सेवा प्रदाता संस्था अनुबन्ध समाप्त करती है तो उसे भी एक माह का नोटिस देना होगा।
16. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मियों को प्रत्येक कार्यकारी दिवस में सामान्यतः 08 घण्टे कार्य सम्पादन करना होगा और सामान्यतः 06 कार्यकारी दिवस बाद साप्ताहिक अवकाश की सुविधा दी जायेगी। उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को आवश्यकता होने पर कार्य सम्पादन हेतु साप्ताहिक अवकाश और राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी बिना किसी अतिरिक्त मानदेय पर बुलाया जा सकेगा। यदि सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को अधिशासी निदेशक कार्यालय के जनपद लखनऊ के बाहर काय निष्पादन हेतु भेजा जाता है तो उसे स्थानीय व्यय के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी का बस/ट्रेन का किराया दिया जायेगा।
17. सेवा प्रदाता संस्था प्रत्येक पद के लिए 1:2 के अनुपात में कार्मिक उपलब्ध कराएगा जिनमें से उपयुक्त का चयन अधिशासी निदेशक अथवा उनके द्वारा अधीकृत अधिकारी अथवा अधिकारी समूह (कमेटी) द्वारा किया जायेगा। अनुभवी कार्मिकों को वरीयता दी जायेगी। यह निर्णय अधिशासी निदेशक के अन्तिम अनुमोदन के अधीन होगा और किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
18. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के नाम, पते एवं चरित्रिक सत्यापन की जिम्मेदारी सम्बन्धित सेवा प्रदाता संस्था की ही होगी।
19. अधिशासी निदेशक द्वारा चयनित कार्मिकों के बायोडाटा सम्पूर्ण विवरण सहित सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सत्यापन के साथ उपलब्ध कराये जायेंगे और इसके लिए सम्बन्धित सेवा प्रदाता संस्था उत्तरदायी होगी।
20. अधिशासी निदेशक द्वारा कार्य सम्पादन हेतु चयनित कार्मिकों की सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता संस्था को भुगतान की गयी मजदूरी की धनराशि (सेवा शुल्क एवं करों को छोड़कर) समस्त धनराशि सम्बन्धित कार्मिकों के बैंक खाते में जमा कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित सेवा प्रदाता की होगी और सेवा प्रदाता द्वारा सम्बन्धित कर्मियों से किसी प्रकार की कटौती श्रोत पर नहीं की जायेगी।

21. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कार्य संपादन हेतु उपलब्ध कराये गये सभी कार्मिक सभी प्रकार के आशय एवं उद्देश्यों के लिए सेवा प्रदाता संस्था के ही कर्मचारी माने जायेंगे और किसी भी दशा में ऐसे कार्मिकों और अधिशासी निदेशक के बीच सेवा योजक और सेवक का सम्बन्ध नहीं होगा और अधिशासी निदेशक के सम्बन्ध में किसी भी आन्तरिक एवं बाह्य रूप से उत्पन्न होने वाले दावे से सम्बन्धित नहीं होगी।
22. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों पर सेवा प्रदाता संस्था का नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण होगा और सेवा प्रदाता संस्था उनको भुगतान की मिलने वाली धनराशियों के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी। वह वैधानिक व्यवस्थाओं और श्रम कानून के अन्तर्गत उन्हें देय है।
23. सेवा प्रदाता संस्था उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को अवैधानिक कार्यों व गतिविधियों एवं दोषपूर्ण आचरण से दूर रखने के सभी प्रयास करेगी उनको ऐसे कार्यों से अलग रखने के सभी उपाय करेगी, जिसमें सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा और शान्ति बनी रहें।
24. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक यदि मानक स्तर का कार्य सम्पादन नहीं करते हैं अथवा वे किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि में संलिप्त पाये जाते हैं तो अधिशासी निदेशक की सूचना पर ऐसी कार्मिकों के विरुद्ध सेवा प्रदाता संस्था को उचित कार्यवाही करनी होगी और कृत कार्यवाही की सूचना अधिशासी निदेशक को देनी होगी।
25. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को अधिशासी निदेशक के अनुरोध पर तत्काल बदला जायेगा और उसके स्थान पर दूसरा कार्मिक उपलब्ध कराया जायेगा।
26. उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर अथवा अन्य वित्तीय स्थितियों में उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के दावे/बीमा आदि का भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा ही किया जायेगा, यदि ऐसा कोई वैधानिक दायित्व बनता है।
27. सेवा प्रदाता संस्था अपने कार्मिकों को सभी अनुमन्य भुगतान उनके बैंक खातों में या चेक के माध्यम से दिया जायेगा और इस प्रकार किये गये भुगतान का प्रमाण एवं कार्मिकों के ई0पी0एफ0 खातों में नियोक्ता अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में जमा करने का विवरण प्रत्येक माह के बीजक के साथ अधिशासी निदेशक को अगले माह के बिल के साथ उस धनराशि के लिए प्रस्तुत किया जायेगा जिस धनराशि को अधिशासी निदेशक से प्राप्त किया गया हो।
28. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को परिचय-पत्र जारी किये जायेंगे जिसमें, उनका नाम व पता, पदनाम, जन्मतिथि आदि का उल्लेख होने के साथ ही फोटोग्राफ भी लगा होगा।
29. सेवा प्रदाता संस्था अथवा उसके कार्यपालक के विरुद्ध ऐसे आपराधिक आरोप से सम्बन्धित कोई अन्वेषण, जांच या विचारण लम्बित न हो जिससे संस्था तथा उसके कार्यपालक की नैतिक अद्यमता अन्तर्ग्रस्त है उसका ऐसा कोई कृत्य न हो जिससे भारत संघ की सम्प्रभुता पर प्रभाव पड़ता हो।
30. न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।
31. नोट: वर्तमान में कार्यरत सेवा प्रदाता एजेंसी की सेवाएं संतोषजनक न होने के कारण निविदा हेतु पात्र नहीं होगी।

Annexure-II

Technical Bid for providing servicing of Skilled/Unskilled/Semiskilled workers for Housekeeping/Sweeping & Cleaning & Maintenance

S.No	Particulars	To be filled by the tender
1.	Name of the Tender Agency	
2.	Details of EMD; (i) Amount (ii) Draft No. (iii) Date (iv) Issuing Bank	
3.	Date of establishment of the Agency	
4.	Detailed office address of the Agency with Office Telephone Number, FAX Number and Mobile Number and the name of the contact person:	
5.	Name and address of the Director/owner of the agency with Tel./Mobile No:	
6.	Whether registered with concerned Government Authorities	
7.	Length of similar experience in the field with documentary evidence.	
8.	Enclose an affidavit duly certificate by the Notary at the location of the agency /head quarter, that the tender has never been black Listed or punished by any criminal offence/breach of contract and that no police, vigilance inquiry / criminal case is pending.	
9.	Experience in dealing with government departments (here, indicate the names of the departments and attach copies of contacts /orders placed on the agency)	
10.	Whether a copy of the terms and conditions (Annexure-I) duly signed, in token of acceptance of the same is attached?	
11.	Whether Agency Profile is attached?	
12.	List of the other client (may attached separate sheet):	
13.	Service Tax Registration No:	
14.	Proof of financial status of the agency in form of balance sheet for the last three years.	
15.	Enclose the details of the workforce with infrastructure facilities.	
16.	Name and address of two responsible persons of standing from whom credentials of the agencies can be verified	
17.	Detailed of contract with any two Govt./Public Sector etc. with contact person 's name & Tel/Cell No. etc.	

Note: It is mandatory to attach the attested copy of required certificates/proof with above information

Date & Place:

(Name & Seal of the authorized signatory of the agency)

ANNEXTURE-III

Manpower on Contract-Price Bid
(To be filled and submitted by the Manpower Agency)

S.N.	Skilled/Unskilled/Semiskilled workers for Housekeeping/sweeping & Cleaning & Maintenance	Rate
1	Monthly Wages as per current minimum wages Act 1948 issued by Labour Commissioner Kanpur Skilled Rs. Semiskilled Rs. Unskilled Rs.	
2	Service Charges, per month @ (%) of the wages	
3	Service Tax, Per month @ (%) of total amount (Applicable as per Government Rules)	
4	Any other charges, per month	

Note: Employees share of EPF will be the responsibility of Agency out of their service charge.

Date & Place: (Name & Seal of the authorized signatory of the agency)